

R. 1707/I/14  
35 जैन

20-5-14  
20/5/14  
20-5-14  
20-5-14  
20-5-14

भारत पिता भागीरथ जाति भील  
निवासीग्राम सुवासा त0 बडनगर जि0  
उज्जैन

प्रार्थी, निगरानीकर्ता

विरुद्ध

बसंतीलाल पिता बद्रीलाल उम्र-56 साल  
जाति कुलमी निवासी ग्राम श्री वच्छ तह0  
खाचरौद जि0 उज्जैन

अनावेदक, प्रतिप्रार्थी

12

भारत विरुद्ध बसन्तीलाल

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - निग0 1707-एक/14

जिला - उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-5-14	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । यह प्रकरण भूमि विक्रय से संबंधित है । कलेक्टर ने अपने आदेश में आवेदक द्वारा भूमि विक्रय हेतु बताए गए कारणों को समाधानकारक नहीं होने तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 165(6) की उपधारा (2) (1) की (क) में दी गई शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन होने से खारिज किया है । कलेक्टर के आलोच्य आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है, जिस कारण उसमें हस्तक्षेप आवश्यक हो । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p>प्रशा10 सदस्य</p>